

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे- I / 11367-374

दिनांक:- 28.01.2016

आदेश संख्या 184/15-16

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29(2) के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लेखाकार) से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2013-14 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में बन्द लिफाफे में रखे गये, श्री विरेन्द्र सिंहल (जन्म तिथि 14.04.59), लिंक नम्बर 266, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लेखाकार) के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के पद पर चयन के नतीजे को खोला जाकर, उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हे 2013-14 के रिक्त पद के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी पद की वेतन श्रृंखला 9300-34800, ग्रेड पे-4200, (दिनांक 1.7.13 से ग्रेड पे 4800) में पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

श्री विरेन्द्र सिंहल (मेरिट संख्या 680/81) की वरिष्ठता वर्ष 2013-14 में चयनित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I की सूची में श्री अभय कुमार मेहता एवं श्री सुधाकर के मध्य रहेगी। वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प2 (15) वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 21.6.13 के अनुसरण में सिंहल पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम) कम्पोजिट मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

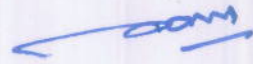

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे- I / 11367-374

दिनांक:- 28.01.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज. अजमेर
3. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक
5. कार्यालय अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. जोधपुर संभाग, जोधपुर
6. श्री विरेन्द्र सिंहल स.ले.अ.-II अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. जोधपुर संभाग, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड-I पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
7. अलेसे-II / डीपीसी शाखा / ए.सी.आर. शाखा / गार्ड फाईल / निजी पत्रावली


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)